झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

जिला सम्वर्ग अन्तर्गत प्रारंम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञप्ति संख्या - 29/2011

विज्ञप्ति संख्या 27/2011 के क्रम में मानव संसाधन विकास के पत्रांक 836 दिनांक 30.3.2011 में निहित निदेश के आलोक में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं** की सूची के क्रमांक 7 'सरायकेला–खरसवाँ' के लिये क्षेत्रीय भाषा के रूप में पूर्व से विहित भाषाओं के अतिरिक्त कुरमाली को भी सूचीबद्ध किया गया है। तदनुसार सरायकेला खरसावाँ जिला की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व से संसूचित क्षेत्रीय भाषाओं एवं 'कुरमाली' में से कोई एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में रख सकते हैं कुरमाली का कोड पूर्व में ही 60 विहित है।

ऐसे अभ्यर्थी जो उर्दू सहायक शिक्षक के पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग को पूर्व में आवेदन दिये हैं वे भी नये सिरे से विज्ञप्ति संख्या 27/2011 में विहित शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से परिषद् को दे सकते हैं, बशर्त्ते कि वे उम्र एवं अन्य अर्हत्ता रखते है जो विज्ञप्ति संख्या 27/2011 में विनिर्दिष्ट है।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी उर्दू सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक में से सिर्फ एक ही पद के लिये आवेदन दे सकता है, क्योंकि दोनों की परीक्षा एक ही तिथि को होगी।

परिषद में आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 15.4.2011 को दिनांक 20.4.2011 तक विस्तारित की जाती है।

यह सूचना परिषद् के वेबसाइट www.jac.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/PTR/8692/SECY/120/11
Dt. 30.03.2011
D.O.P. 31.03.2011